भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2784

शुक्रवार, 19 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश निवेश वाली ई-वॉलेट कंपनियां

2784. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-कॉमर्स और ई-पेमेंट के अंतर्गत कितनी ई-वॉलेट कंपनियां कार्यरत हैं और उनमें कितना विदेशी निवेश किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन ई-कॉमर्स और ई-पेमेंट कंपनियों में चीन सहित विदेशी कंपनियों को हिस्सेदारी है तथा यह हिस्सेदारी कितनी-कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क): संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएसए) के तहत भारत में स्थापित और संचालित की जानी वाली भुगतान प्रणाली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत 'भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स' और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा रखी जाने वाली कंपनियों की प्रेषण-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची काफी बड़ी है और यह आरबीआई की वेबसाइट पर 'भुगतान और निपटान प्रणाली ऑपरेटर्स का प्रमाणन' शीर्षक के तहत https://www.rbi.org.in/Scripts/FS_CustomerAwareness.aspx?fn=9 लिंक पर तथा डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर https://dipp.gov.in/publications/si-news-letters लिंक पर उपलब्ध है।

(ख): वर्तमान में, भारत में 36 गैर-बैंकिंग कंपनियां पीपीआई जारी करने और संचालन करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य कर रही हैं। इन 36 कंपनियों में से 20 कंपनियों ने विदेशी निवेश प्राप्त किया है। इसका ब्यौरा काफी विस्तृत है और इसे लिंक https://dipp.gov.in/sites/default/files/RajyaSabha-Annexure-Sheet1-18March2021%20pdf.pdf और https://dipp.gov.in/sites/default/files/RajyaSabha-Annexure-Sheet2-18March2021%20pdf.pdf पर अपलोड किया गया है।

*****